HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8735/2026
CNR: RJHC010610052026
URN: CRLMB / 18972U / 2026

1. Sajid Husain S/o Tahir Husain, Aged About 25 Years, R/o Inside Nagori Gate Opposite Gargah Ps Nagori Gate Jodhpur (Lodged In Central Jail Jodhpur)
2. Saif Ali @ Saifu S/o Abdul Majid, Aged About 29 Years, R/o Naya Talab Maliyo Ki Bagechi Ps Nagori Gate Jodhpur (Lodged In Central Jail Jodhpur)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajendra Kumar Soni
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

06/07/2026

01. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिस थाना **सूरसागर जिला जोधपुर सिटी पश्चिम** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **154/2026,** अपराध अन्तर्गत धारा **331(4), 305–ए, 112(2) भारतीय न्याय संहिता** के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि इस मामले में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय आरोप है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर एक–एक आपराधिक प्रकरण दर्ज है। प्रार्थी–अभियुक्त साजिद हुसैन पर पूर्व में चोरी का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हैं, प्रार्थी–अभियुक्त सैफअली उर्फ सैफु पर एक प्रकरण चोरी का पूर्व में दर्ज है। अनुसंधान पूर्ण होने व बाद नतीजा विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

05. जमानत आवेदन पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय आरोप हेतु न्यायिक अभिरक्षा में होना बताया गया है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **01. साजिद हुसैन पुत्र ताहिर हुसैन, 02. सैफअली उर्फ सैफु पुत्र अब्दुल मजीद** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त एक–एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावें।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

31/SN Lohra/336